न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 64 / 2015

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 अम्बुजा सीमेन्ट लि0 रजिस्टर्ड ऑफिस अम्बुजा नगर, तालुका कोडियार जिला जुनागढ गुजराज की ईकाई अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड राबडियावास जरिये संयुक्त अध्यक्ष राजेश सी. कोठारी पुत्र चम्पालाल जाति कोठारी निवासी अंबुजा टाउनशिप, राबडियावास तहसील जैतारण		1 बलदेव पुत्र किशना जाति गुर्जर 2 अमरा पुत्र किशना जाति गुर्जर के का0मु0 1.1. रूकमा पत्नि अमराराम 1.2. प्रकाश पुत्र अमराराम (ना.बा.) 1.3. चेतन पुत्र अमराराम (ना.बा.) 1.4. सन्तु पुत्री अमराराम (ना.बा.) 1.5. पूजा पुत्री अमराराम (ना.बा.) 1.6. मन्जु पुत्री अमराराम (ना.बा.) 1.7. चिमना पुत्री अमराराम (ना.बा.) नाबालिग की वली माता रूकमा 3 मांगी बेवा किशना गुर्जर 4 उगमउ पुत्र रेवता के का0मु0 अमराराम पुत्र उमगाराम जाति गुर्जर 5 पोकर पुत्र लाबू जाति नायक के का0मु0 1.1. छगनाई देवी बेवा पोकरराम 1.2. मिडूराम पुत्र पोकरराम 1.3. दुर्गाराम पुत्र पोकरराम 1.4. पप्पुराम पुत्र पोकरराम 1.5. श्यामलाल पुत्र पोकरराम 1.6. लीलादेवी पुत्री पोकरराम 1.7. सुशीलादेवी पुत्री पोकरराम जातिगण नायक निवासीगण ढाणि केसरपुरा तहसील जैतारण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

उपस्थित :–

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 29/11/2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध उनकी खातेदारी भूमि ग्राम रास द्वितीय के खसरा नम्बर 2794/2 रकबा 6 बीघा भूमि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 के तहत कम्पनी को दिलाने का निवेदन किया। इस पर न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

अति० जिला कलक्टर, पाली

गया तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि प्रार्थी कम्पनी की माईनिंग लीज क्षैत्र में होने से प्रार्थी ईकाई को देने में कोई आपत्ति जाहिर नही की गई। इस पर माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए उक्त कृषि भूमि का मुआवजा निर्धारित करते हुए विस्तृत निर्णय दिनांक 14.01.2008 को पारित किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त राशि का ड्राफ़्ट तहसीलदार जैतारण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उक्त जानकारी अप्रार्थीगण को कराए जाने पर राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारीयों द्वारा खसरा नम्बर 2794/2 की भूमि के खातेदार बलदेव, अमरा पि0 किशना, मांगी बेवा किशना, उगमा पुत्र रेवता, पोकर पुत्र लागू कौम नायक सा0 ढाणि केसरपुरा दर्ज होने से उक्त खातेदारों को मुआवजा राशि उनके नाम के आगे त्रुटीवश राजस्व रेकर्ड में उनकी जाति नायक दर्ज हो जाने से उन्हे मुआवजा राशि प्राप्त नही हो सकी। इसके पश्चात राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त कराते हुए अप्रार्थीगण ने अपनी वास्तविक जाति का इन्द्राज करवाया जा चुका है। इसी अनुरूप माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में भी अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की जाति नायक के स्थान पर गुर्जर तथा अप्रार्थी संख्या 5 की जाति नायक दर्ज कराने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस न्यायालय द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 02/2007 में पारित निर्णय दिनांक 14.01.2008 में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की जाति नायक दर्ज है। ग्राम केसरपुरा के खसरा नम्बर 2794/2 रकबा 6 बीघा की भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2065—2068 के खाता संख्या 42 में अंकित नोट के अनुसार "जरिये शुद्धि पत्र संख्या 2/17.09.2011 के खाता इस प्रकार दर्ज हुआ — बलदेव, अमरा पि0 किशना, मांगीदेवी बेवा किशना, उगमा पुत्र रेवता कौम गुर्जर, पोकर पुत्र लागू कौम नायक सा0 ढाणि केसरपुरा खातेदार। इस प्रकार प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की जाति गुर्जर है तथा अप्रार्थी संख्या 5 की जाति नायक है, जबकि प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 14.01.2008 में अप्रार्थीगण की जाति नायक दर्ज की जा चुकी है, जो दुरूस्त योग्य पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 के तहत स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 02/2007 में पारित निर्णय दिनांक 14.01.2008 को इस प्रकार दुरूस्त किया जाता है कि उक्त आदेश के शीर्षक में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की जाति गुर्जर तथा अप्रार्थी संख्या 5 की जाति नायक संशोधन किया जाता है। इसी अनुसार आदेश दिनांक 14.01.2008 को पढा व समझा जावे। यह आदेश पूर्व में पारित आदेश दिनांक 14.01.2008 का आवश्यक भाग रहेगा। पत्रावली नम्बर से कम होकर प्रकरण संख्या 02/2007 के नत्थी की जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29/11/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली